कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

3946
29-3-17

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

S. S (JPM)

सेवा में,

अवर सचिव
S.O-7
21-3-17

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), बक्सर
जिला– बक्सर

नगर विकास एवं आवास विभाग
20 MAR 2017
प्राप्ति तिथि

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, बक्सर के वर्ष 2008–09 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1179 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

– Sd/–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14650 / 467

दिनांक– 15.3.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, बक्सर

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
21 MAR 2017
2482
संख्या............
बिहार, पटना

तनवीर हसन 15/03/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

सामाजिक प्रक्षेत्र- I

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या:- 1179/16-17

भाग-I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम:	**जिला शहरी विकास अभिकरण(डूडा), बक्सर**
2	कार्यालय प्रधान का नाम एवं पदनाम:	कार्यपालक अभियंता, जिला अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण(डूडा), बक्सर
3	लेखा की अवधि:	2008-09 से दिसम्बर 2016 तक
4	लेखापरीक्षा की अवधि:	23.01.2017 से 02.02.2017
5	लेखापरीक्षा दल के सदस्य:	श्री संतोष कुमार राय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री विशाल कुमार, लेखापरीक्षक
6	निरीक्षि अधिकारी का नाम	श्री राकेश कुमार-II, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
7	लेखापरीक्षा का क्षेत्र:	माह अप्रैल, 2010 से माह दिसम्बर, 2016 तक के लेखाओं की नमूना जाँच की गई। मार्च 2011, सितम्बर 2012, मार्च 2015, जुलाई 2015, जून 2016 के लेखाओं की विस्तृत जाँच, कोषागार से किए गए आहरणों एवं कोषागार में जमा की गई राशियों का सत्यापन कोषागार के अभिलेखों से किया गया। माह जुलाई 2010, अप्रैल 2011, जुलाई 2013 व दिसम्बर 2016 के लेखाओं की अंकगणितीय जाँच की गई। इसी क्रम में उपलब्ध कराए गए अन्य अभिलेखों की भी जाँच की गई।
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं की वर्तमान स्थिति	लागू नहीं। जिला शहरी विकास अभिकरण, भोजपुर (आरा) का पहला निरीक्षण प्रतिवेदन है।
9	क्या कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हाँ।

दावा अस्वीकरण प्रमाणपत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) , बक्सर द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/ कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

भाग-II

खण्ड-"क" शून्य

भाग -II

खण्ड -"ख"

कंडिका 1. सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा

योजना का नामः– वार्ड सं0– 5 के मेनरोड से चाणक्यपुरी होते हुए जंगली शिवमंदिर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण

एकरारनामा संख्या एवं तिथिः– 8F2/14-15, 24.02.15

एकरारनामा की राशिः– रू0 7085860/– (अनु0 दर से 5.56% नीचे)

संवेदक का नामः– श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह, ग्रा0पो0–फकदर, जिला–बक्सर

मापी पुस्तिका संख्याः–63

कार्य में कुल भुगतानः– रू0 7085860/– (चतुर्थ विपत्र तक)

अंकेक्षण आपत्तिः–

(क) Additional Performance Guarantee की राशि नही लिए जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता रू0 1.08 लाख

योजना संचिका एवं अन्य संलग्न दस्तावेज की नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक के साथ एकरारनामा (संख्या 8F2/14-15) रू0 7085860/– पर किया गया था जो अनुसूचित दर से 5.56% नीचे था।

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग (पत्रांक 3376(6) दिनांक 17.05.10) का सड़कों के निर्माण के संदर्भ में कुछ निर्देश, जो निविदा का भाग था, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय को कहा गया था। उक्त पत्र के अनुसार जो निविदा अनुसूचित दर से नीचे (Serious unbalanced) हो उसमें निर्धारित दर से एकरारनामा के समय संवेदक से Additional Performance Guarantee के रूप में राशि ली जानी चाहिए थी।

गणना के हिसाब से एकरारनामा 1.53% (5×0.25+0.56×0.5) अर्थात राशि रू0 108143/– Additional Performance Guarantee के रूप में ली जानी चाहिए थी।

जिला विकास अभिकरण कार्यालय, बक्सर द्वारा ऐसा नही करके संवेदक को अदेय सहायता पहुंचाया गया।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि वर्तमान में यह कार्य पूर्ण हो चुका है। भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा।

(ख) निविदा प्रकाशन में पर्याप्त समय नहीं दिए जाने के कारण स्वच्छ प्रतियोगिता का अभाव

बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131(ज)(v) के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतया निविदा प्रकाशन की तिथि या बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, जो भी बाद में हो से तीन सप्ताह (21 दिन) की होगी।

योजना संचिका में संलग्न N.I.T. की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा परिमाण–पत्र निर्गत करने की तिथि कार्यालय द्वारा 11.02.14 निर्धारित की गई थी तथा जमा करने की अंतिम तिथि 12.02.14 निर्धारित की गई थी। स्पष्टतः प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु मात्र 1 दिन का समय दिया गया जबकि नियमानुसार न्यूनतम 21 दिनों की अवधि निर्धारित थी। निविदा नियमों के अनुसार निविदा को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी अपेक्षित होती है इसके लिए कई स्तरों से विज्ञापन करवाकर पर्याप्त समय दिया जाता है।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि यह निविदा अभिकरण सूचना संख्या 01/2013–14 को रद्द कर दी गई थी जो बाद में अल्प निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 02/14–15 के माध्यम से निकाली गई जिसमें 12.12.2014 से 20.12.2014 तक निविदा अपलोड करने की तिथि थी। यह नियमों के अन्तर्गत है। जवाब मान्य नही है क्योंकि 21 दिनों के निर्धारित अवधि का पालन नही किया गया।

(ग) बगैर गुणवत्ता जांच किए कार्य में भुगतान

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा योजना के संदर्भ में राज्य के सभी जिला शहरी विकास अभिकरण को निर्देश जारी किया गया था कि योजना कार्य में गुणवत्ता जांच हेतु त्रिस्तरीय जांच प्रणाली की व्यवस्था की गई थी जो इस प्रकार है:–

प्रथम स्तरः– संवेदक अथवा कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य को गुणवत्ता जांच

द्वितीय स्तरः– जिला गुणवत्ता समन्वयक (D.Q.M.) द्वारा

तृतीय स्तरः– राज्य गुणवत्ता समन्वयक (S.Q.M.) द्वारा

संचिका की जांच में पाया गया कि योजना की गई थी। मार्गदर्शिका में स्पष्ट वर्णन था कि बगैर गुणवत्ता जांच किए योजना में भुगतान किया जाता रहा जो नियमों के प्रतिकूल है।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि गुणवत्ता की जांच करायी जाती है। द्वितीय स्तर तक की जांच की जाती है। तृतीय स्तर का जांच टीम विभागीय स्तर पर गठित नही है। जवाब से स्वतः स्पष्ट होता है कि तृतीय स्तर की जांच किसी भी योजना में नही की गई थी।

(घ) कार्य में Brick bats की राशि की कटौती नही किए जाने के कारण कार्य में अधिक भुगतान 0.31 लाख

प्राक्कलन एवं बी0ओ0क्यू0 में Recovery Material के रूप में 32.02 m^3 @ 958.65 (item No-8(iii)) रू0 30696/– की वसूली संवेदक से की जानी थी। मापी पुस्तिका की जांच में पाया गया कि Dismantling से प्राप्त Brick bats की राशि रू0 30696/– की न तो वसूली संवेदक के विपत्र से की गई और न ही प्राप्त Brick bats material का प्रयोग ही कार्य में किया गया। अतः उक्त राशि संबंधित दोषी व्यक्तियों से वसूलनीय है।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि ईंट उपयोग के लायक नही था, इसलिए कटौती नही की गई। जवाब मान्य नही है क्योंकि डी0पी0आर0 एवं बी0ओ0क्यू0 में dismantling में प्राप्त मात्रा का मात्र 10 प्रतिशत का प्रावधान ही किया गया था।

(ड़) मिट्टी कार्य में रॉयल्टी की कटौती नहीं होने से राजस्व क्षति रू0 0.07 लाख

विस्तृत प्राक्कलन एवं Rate Analysis तथा मापी पुस्तिका की जांच में पाया गया कि मिट्टी कार्य दर में रॉयल्टी की राशि सम्मिलित था। मापी पुस्तिका (संख्या 63) के आइटम नं0 8 (p/20) में मिट्ठी कार्य 316 m^3 किया गया था जिसमें गणना के हिसाब से 6952 रू0 (316 m^3 ×@ 22/ m^3) की कटौती रॉयल्टी के रूप में की जानी चाहिए थी। अभिकरण कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं करके राजस्व की क्षति पहुंचाई गई साथ ही कार्य में अधिक भुगतान किया गया जो संबंधित दोषी व्यक्तियो से वसूलनीय है।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि जानकारी के अभाव में रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई। इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कंडिका 2. नगर परिषद बक्सर अंतर्गत बाईपास रोड से नहर की ओर आने वाली सड़क में विष्णु दयाल पुल का चौड़ीकरण

एकरारनामा संख्या– 26 F2/2010–11

एकरारनामा की राशि– रू0 4967119/–

संवेदक का नाम– श्री श्रवण कुमार यादव

मापी पुस्त संख्या– 28

कार्य में कुल भुगतान– रू0 4791697/–(सातवें विपत्र तक)

अंकेक्षण आपत्तिः–

(क) ढुलाई पर अनियमित भुगतान रू0 5.30 लाख

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने हेतु एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदको से प्रपत्र एम तथा एन तथा चालान की प्रति लिया जाता है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही विपत्रो का भुगतान किया जाना है।

अभिकरण कार्यालय द्वारा सरकार के उपरोक्त प्रावधानो की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान की प्रति लिये बगैर/सत्यापन कराये बिना सिर्फ रॉयल्टी की कटौती कर विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे यह सुनिश्चित उठाव प्राक्कलन में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही किया गया है। इससे कार्य में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता एवं ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित नही किया जा सकता। इसका अनुपालन नहीं किये जाने से अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित है। विवरण इस प्रकार है:-

समाग्री	मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू0)	मापी पुस्त का पृष्ठ सं0
स्टोन चिप्स	272.55 m^3	707.86/ m^3	192927	p/42
कोर्स बालू	391.90 m^3	956.48/m^3	336585	p/42
योग			529512	

इस प्रकार साक्ष्य के आभाव में बगैर प्रपत्र एम तथा एन लिये एवं सत्यापन कराये लघु खनिज सामग्री की ढुलाई पर कुल 5.30 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।
आपत्ति के आलोक में बताया गया कि रॉयल्टी की कटौती कर ही विपत्रों का भुगतान किया गया है। भविष्य में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

(ख) विलम्ब शुल्क/क्षतिपूर्ति राशि की कटौती नहीं राशि रू0 4.97 लाख

एकरारनामा के शर्त संख्या 2 के अनुसार तय समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर संवेदक से क्षति पूर्ति के रूप में प्रत्येक विलम्ब दिन के लिए प्राक्कलन राशि का 0.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत राशि वसूली की जाएगी।

योजनाओं के संचिका के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि योजना में संवेदक को दिनांक -18.08.10 को कार्य प्रारंभ करके 6 महीने के अंदर (दिनांक 17.02.11) पूर्ण करना था लेकिन संवेदक द्वारा कार्य को वास्तविक 12.03.2012 को अर्थात लगभग 1 वर्ष बाद पूर्ण किया गया। इसमे न ही संवेदक द्वारा समय विस्तार की मांग की गई थी और न ही उपरोक्त शर्त के आलोक में अभिकरण कार्यालय द्वारा क्षति पूर्ति राशि की वसूली संवेदक से की गई थी। गणना के अनुसार कुल क्षतिपूर्ति राशि रू0 496762/- (4967619 का 10 प्रतिशत) है जो कि संबंधित दोषी व्यक्तियों से वसूलनीय है।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि विपत्रवार 10 प्रतिशत की दर से कटौती की गई है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि एकरारनामा राशि के 10 प्रतिशत की कटौती नियमानुसार की जानी चाहिए थी।

(ग) प्रावधानित कार्य की कुल मात्राओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाना

मापी पुस्तिका एवं बी0ओ0क्यू0 की जांच में पाया गया कि बी0ओ0क्यू0 में वर्णित आईटम नं0 15, 16 एवं 17 का क्रियान्वयन नहीं किया गया। इसमें से आईटम नं0 16 में बोल्डर फॉर बेड प्रोटेक्शन कार्य था। चूकि यह कार्य पुल के चौड़ीकरण से संबंधित कार्य था। अतः बोल्डर का कार्य प्रोटेक्शन हेतु होना अनिवार्य था।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि स्थल की अनुपलब्धता के कारण प्रोटेक्शन कार्य नहीं कराया गया।

<u>कंडिका 3. सारीमपुर मढ़िया नहर पुल के चौड़ीकरण कार्य की समीक्षा</u>

योजना का नामः- सारीमपुर मढ़िया नहर पुल का चौड़ीकरण कार्य
संवेदक का नामः- श्री आयोध्या उपाध्याय,(मे0 प्रगति कन्सट्रक्शन)
एकरारनामा संख्या एवं तिथिः- 24F2/10-11

प्राक्कलित राशिः– 4291831/–
एकरारनामा की राशिः– रू0 4077239/– (अनु0 दर से 5% नीचे)
एकरारनामा/कार्य प्रारंभ की तिथिः– 22.06.10
कार्य पूर्णता की तिथिः– 30.06.10
अधतन भुगतानः– रू0 4152320/– (पांचवे एवं अंतिम विपत्र तक)
मापी पुस्तिका संख्याः–18/पृ0 23 से 30
उक्त योजना के अभिलेखों के जांच में निम्नांकित अनियमितता पाई गईः–

(i) Time extension की कम कटौती ₹ 3.21 लाख

F–2 एकरारनामा के क्लाउज 2 के अनुसार संवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नही किये जाने की स्थिति में प्राक्कलित राशि का 1/2 प्रतिशत (आधा) प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक Time Extension मद में कटौती किये जाने का प्रावधान है।

उक्त योजना को 30 जून 2010 तक पूरा करना था परन्तु संवेदक द्वारा कार्य 2.6.11 को पूरा किया गया। ऐसी स्थिति में एकरारित राशि 4291831 का 10 प्रतिशत अर्थात 429183/– रू0 की कटौती की जानी चाहिए थी। मापी पुस्त के जांच में पाया गया कि पांचवे विपत्र तक कुल 86950/– (MB-P-22, 4th A/c bill) की कटौती समय विस्तार के रूप में की गई। इस प्रकार Time Extension के रूप में 342233/– रू0 की कम कटौती की गई एवं संवेदक को अदेय वित्तीय लाभ प्रदान किया गया। आपत्ति के आलोक में बताया गया कि समयवृद्धि की स्वीकृति दी गई है। अतः कटौती का प्रश्न ही नहीं है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सक्षम पदाधिकारी द्वारा समयवृद्धि की स्वीकृति नही दी गई थी।

(ii) लेबर सेस की कटौती नहीं किये जाने के कारण दायित्व का सृजन 0.41 लाख

बिहार सरकार के असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ–1–302/2 प्र0नि0–865 दिनांक 18.08.2008 के अनुसार सरकारी विभागों को निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती कर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

अभिलेखों के जांच में पाया गया कि उक्त योजना पर कुल 4152320/– रू0 का भुगतान किया गया है जिसका एक प्रतिशत अर्थात 41523/– रू0 लेबर सेस के रूप में काटा जाना था। परन्तु इसकी कटौती नही कर अतिरिक्त दायित्व का सृजन किया गया।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि प्राक्कलन में प्रावधान नहीं होने के कारण कटौती नहीं की गई। जवाब मान्य नही है क्योंकि प्राक्कलन में प्रावधान करके वर्ष 2007–08 से ही श्रम सेस की कटौती की जानी चाहिए थी।

(iii) लघु खनिज के ढुलाई पर अनियमित भुगतान ₹4.34 लाख

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने हेतु एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदको से प्रपत्र एम तथा एन तथा चालान की प्रति लिया जाता है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही विपत्रो का भुगतान किया जाना है।

परन्तु उक्त योजना में सरकारी प्रावधानों के विरूद्ध प्रपत्र एम तथा एन चालानों को प्राप्त किये बगैर एवं सत्यापन कराये बिना विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार लघु खनिज सामाग्री के ढुलाई पर किया गया भुगतान अनियमित है। विवरण इस प्रकार हैः–

समाग्री	मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू0)
कोर्स बालू	297 m^3	956.48/m^3	284074
स्टोन चिप्स	212 m^3	707.86/ m^3	150066
योग			434140

इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में लघु खनिज के ढुलाई पर 4.34 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि रॉयल्टी की कटौती की गई है, भविष्य में दी गई दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

<u>कंडिका 4. अम्बेदकर चौक से RPF मोड़ तक जाने वाले पथ के पी0सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य की समीक्षा</u>

कार्य का नाम– मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत बक्सर नगर परिषद अन्तर्गत अम्बेदकर चौक से समाहरणालय होते हुए RPF मोड़ तक जाने वाले पथ के पी0सी0सी0 एवं दोनो तरफ फुटपाथ एवं नाली निर्माण कार्य

लंबाई– 756 मीटर
प्रशासनिक स्वीकृति– 218.544 लाख
तकनीकी स्वीकृति– 196.95 लाख
प्राक्कलित राशिः– 18799156/–
संवेदक– श्री प्रशान्त कुमार सिंह
एकरारनामा सं0– 09F2/2014–15
एकरारनामा राशि– 16919240/– (10 प्रतिशत कम दर पर)
कार्य प्रारंभ की तिथि– 05.02.15
कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि– 04.08.15 (6 माह)
अधतन भुगतान– 10449282/– (आठवें चालू विपत्र तक)
मापी पुस्त सं0– 64/पृष्ठ 48 से 54
कार्य की स्थिति– पूर्ण
उक्त कार्य के संबंधित अभिलेखों के समीक्षा के क्रम में निम्नांकित अनियमितता पाई गईः–

(क) अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी की राशि नही लिए जाने के कारण संवेदक को अदेय लाभ ₹6.34 लाख

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3376 (6) दिनांक 17.05.10 द्वारा जारी निर्देश के साथ ही अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–11 न0वि0अभि0 (कोषांग)– 150/2014–146 दिनांक 19.01.15 द्वारा जारी कार्य आवंटन आदेश के अनुसार भी संवेदक द्वारा डाले गये Seriously unbalanced bid की स्थिति में यथोचित Additional Performance Guarantee लिया जाना अनिवार्य है।

उक्त कार्य का आवंटन 10 प्रतिशत कम दर पर करते हुए 16919240/– की राशि पर एकरारनामा किया गया। ऐसी स्थिति में एकरारनामा के समय ₹16919240/– का 3.75 प्रतिशत [(5×0.25)+ (5×0.50)] अर्थात ₹634471/– का अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी लिया जाना चाहिए था। परन्तु उपरोक्त राशि नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को ₹6.34 लाख का अदेय लाभ/सहायता प्रदान किया गया।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि जानकारी के अभाव में अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी की राशि नहीं ली गयी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

(ख) बगैर प्रपत्र एम एवं एन प्राप्त किये लघु खनिज सामाग्री की ढुलाई पर अनियमित भुगतान 28.40 लाख

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने हेतु एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र एम तथा एन तथा चालान की प्रति लिया जाता है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही विपत्रो का भुगतान किया जाना है।

उक्त योजना में सरकार के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र एम एवं एन के साथ चालान की प्रति लिए बगैर/सत्यापन कराये बगैर सिर्फ रॉयल्टी की कटौती कर विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि कार्य में प्रयुक्त सामाग्री का उठाव प्राक्कलन में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही किया गया था। इसका अनुपालन नहीं किये जाने से कार्य में प्रयुक्त सामाग्री की मात्रा, गुणवत्ता एवं ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित नही किया जा सकता साथ ही अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फलतः ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित है। विवरण इस प्रकार है:–

समाग्री	मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू0)
स्टोन चिप्स	1653.06 m^3	1317.64 / m^3	2178112
सोन बालू	834.12 m^3	1171.74 / m^3	977372
योग			3155484
10 प्रतिशत कम दर पर(–)			315548
महायोग			2839936

इस प्रकार साक्ष्य के आभाव में लघु खनिज के ढुलाई पर ₹28.40 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।
आपत्ति के आलोक में बताया गया कि संवेदक से प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान की मांग की जाएगी।

(ग) मापी की गलत गणना के कारण अधिक भुगतान 2180/–

उक्त योजना के मापी पुस्त 64 के पृष्ठ 8 (2^{nd} a/c bill) पर Scarifying the existing bituminous road surface की मापी इस प्रकार ली गई थी:–

$$1\times100\ m\times3.75\ m = 375\ m^2$$
$$1\times100\ m\times3.75\ m = 375\ m^2$$
$$1\times20\ m\times3.75\ m = \underline{75\ m^2}$$
$$1200\ m^2$$

जबकि उपरोक्त मापी का कुल जोड़ 825 m^2 ही आता है इस प्रकार लिये गये अधिक मापी 375 m^2(1200–825 m^2) पर 6.46/ m^2 की दर से गणना करने एवं उस पर 10 प्रतिशत घटाने पर कुल 2180/– रू0 का अधिक भुगतान किया गया।
आपत्ति के आलोक में बताया गया कि यह Runing bill है गणना की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(घ) कार्य अपूर्ण

अभिलेखों के जांच में पाया गया कि उक्त कार्य को दिनांक 04.08.15 तक पूरा कर देना था। परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि जनवरी 2017 तक भी कार्य को पूरा नही किया गया। मापी के अवलोकन से पता चला कि दिनांक 30.12.2015 से कार्य बंद है।
आपत्ति के आलोक में बताया गया कि अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित था। अतिक्रमण हटाने हेतू जिला पदाधिकारी को स्मारित किया गया है। कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

(ड़) गुणवत्ता जांच/मॉनिटरिंग नहीं किया जाना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा योजना के संदर्भ में राज्य के सभी जिला शहरी विकास अभिकरण को जारी निर्देश द्वारा कार्य की गुणवत्ता जांच/मॉनिटरिंग हेतु त्रिस्तरीय जांच प्रणाली की व्यवस्था की गई थी।

प्रथम स्तरः– संवेदक अथवा कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य की गुणवत्ता जांच

द्वितीय स्तरः– जिला गुणवत्ता समन्वयक (D.Q.M.) द्वारा

तृतीय स्तरः– राज्य गुणवत्ता समन्वयक (S.Q.M.) द्वारा

इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में भी यह उल्लेख था कि पी0सी0सी0 ढ़लाई का कार्य कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के उपस्थिति में किया जाएगा। संचिका के जांच में पाया गया कि द्वितीय एवं तृतीय स्तर से कोई जांच नही किया गया। आगे डी0सी0एल0आर0 बक्सर द्वारा किये गये संयुक्त जांच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि पी0सी0सी0 का कार्य असंतोषप्रद है तथा जांच के दौरान ढ़लाई कार्य बगैर तकनीकी पर्यवेक्षक की उपस्थिति में कराया जा रहा था। उपरोक्त त्रिस्तरीय जांच नही किये जाने के कारण ढ़लाई कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं है एवं इसके गुणवत्ता संतोषप्रद होने की संभावना कम बनती है।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि गुणवत्ता जांच करायी जाती है। द्वितीय स्तर तक की जांच की जाती है। तृतीय स्तर का जांच टीम विभागीय स्तर पर गठित नहीं है। जवाब से स्वतः स्पष्ट होता है कि तृतीय स्तर की जांच किसी भी योजना में नही की गई थी।

कंडिका 5. Bill of quantities (BOQ) के रूप में प्राप्त राशि का जमा नही रू0 16.88 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड 1 के नियम 37 के अनुसार विभागीय नियंत्रण पदाधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि सरकार को देय सभी रकम नियमित रूप से तथा ठीक समय पर वसूल कर लोक लेखे में यथावत जमा करायी जानी चाहिए। कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण, बक्सर के लेखाओं की नमूना जाँच में उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि Bill of quantities (BOQ) के रूप में वर्ष 2010–11 से अंकेक्षण अवधि तक प्राप्त राशि सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में प्रेषण नही किया गया था। यह राशि निविदा दाताओं (contractor) से निविदा (contract) के समय कार्यालय द्वारा प्राप्त/संग्रहित किया जा रहा था। इस BOQ की राशि को कार्यालय द्वारा बैंक खातों में जमा किया गया था। विभिन्न वर्षों के दौरान BOQ के रूप में कार्यालय द्वारा प्राप्त/संग्रहित राशियों का विवरणी निम्नवत् हैः–

वर्ष	विवरणी	राशि	अभियुक्ति
2010–11	MR No. 536001 to 536099	666500	p/3,4,5,6,7,11,12,13,14,21,23,24,25,26,27,45 ,46,53,54,61,62,74,75 of Vol. I Cash book
2011–12	MR No. 536100, 886001 to 886006	25000	P/124 of Vol. I of Cash book
2012–13	MR No. 886003 to 886006	20000	p/10,11 of Vol. II of Cash book
2013–14	MR No. 886007 to 886021 and received from DD	78750	p/52,53,54,55,56 of Vol. II of Cash book
2014–15	Received from DD	285000	p/9,10,11,12,13,14,20 of Vol.III of Cash book
2015–16	Received from DD	200000	p/3,4,5,14,34,35 of Vol.IV of Cash book
2016–17	Received from DD	412500	p/1,2,7,8,20,21 of Vol.V of Cash book
योग		1687750	

आगे रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि कि उक्त राशि रोकड़ बही के प्राप्ति में दर्शाया गया था किंतु दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही के सारांश में BOQ की राशि मात्र 1270000/– ही दर्ज था।

अतः BOQ के रूप में वर्ष 2010–11 से अंकेक्षण अवधि तक प्राप्त राशि 1687750 के संबंधित राजस्व शीर्ष में प्रेषण नही करने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया साथ ही कुल प्राप्त राशि एवं रोकड बही (पृष्ठ सं0 31, दिनांक 31.12.16) में दर्ज (BOQ) के रूप में राशि के अंतर रू0 417750/– (1687750–1270000) को लेखा परीक्षा में स्पष्ट नही किया गया।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि BOQ के रूप में कुल 1687750/– रू0 की प्राप्ति हुई है। जिसमें से आकस्मिक मद में राशि नही होने के कारण उच्च अधिकारियों द्वारा बैठक में दिये गए निर्देश के आलोक में 322750/– रू0 की राशि खर्च की गई थी। शेष राशि 1365000/–(1687750–322750) का विभाग से निर्देश प्राप्त होते ही जमा कर दी जाएगी। जवाब संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है क्योंकि राजस्व के रूप में प्राप्त राशि को संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था। साथ ही बगैर सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त किये राशि का व्यय करना वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है। अतः वित्तीय नियमों की अनदेखी कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि को आकस्मिक मद में खर्च करने की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए एवं शेष राशि रू0 1365000/– को अविलंब सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए।

कंडिका 6. श्रम सेस राशि की कटौती नहीं किया गया : रु 28276/-

बिहार सरकार के असाधारण गजट अधिसूचना सं.–4/एफ–1–302/2 प्र.नि.–865 दिनांक 18.08.2008 के अनुसार विभागों को निर्माण लागत का एक प्रतिशत का प्रावधान प्राक्कलन में करना चाहिए एवं पारित विपत्र राशि का एक प्रतिशत राशि भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित की जानी चाहिए|

जिला शहरी विकास अभिकरण , बक्सर के अभिलेखो से ज्ञात हुआ कि निम्नाकित योजनाओ के प्रारम्भिक पारित विपत्र राशि से श्रम सेस की कटौती नहीं की गई थी परन्तु उसी योजना के बाद मे पारित अन्य विपत्रो से श्रम सेस की राशि की कटौती की गयी थी जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्र सं	एकरारनामा सं	संवेदक का नाम	श्रम सेस की कटौती किये बिना पारित विपत्र राशि	कटौती की जाने योग्य श्रम सेस की राशि
1.	AgNo01F2/14-15	चन्दन कुमार	1408700/-	14087
2.	AgNo02F2/14-15	सुनील कुमार पाण्डेय	310650	3106.5
3.	AgNo03F2/14-15	मनोज कुमार राय	1108300	11083
		कुल		28276.5

इस प्रकार रु 28276 /- की कटौती श्रम सेस के रूप मे न कर संवेदक को अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सम्बंधित दोषी व्यक्तियों से की जाय| एक ही योजना मे कुछ विपत्रो मे श्रम सेस की कटौती नहीं किया जाना संवेदक को अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित लाभ पहुँचाना है|

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि प्राक्कलन में प्रावधान नहीं होने के कारण कटौती नहीं की गई। विभागीय पत्र प्राप्त होने के बाद कुछ कटौती की गई। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलन में प्रावधान करके वर्ष 2007–08 से ही श्रम सेस की कटौती की जानी चाहिए थी।

कंडिका 7. ब्याज की राशि का अव्यवहृत रहने के कारण राशि का अवरोधन रू0 51.74 लाख

योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक यो– 4/1–48/2010–3311/यो0 पटना दिनांक 17.08.12) द्वारा सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इस आशय का पत्र दिया गया था कि योजनाओं में प्राप्त

ब्याज की राशि का उपयोग उसी योजना के कार्यान्वयन में करवाया जाएगा। ब्याज की राशि का अलग हिसाब भी रखा जाएगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार (संकल्प संख्या 3576 दिनांक 13.07.15) द्वारा निर्गत पत्र की कंडिका संख्या 2.3.4 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि योजना के अन्तर्गत जिलों को आवंटित राशि के अव्यवहृत पड़े रहने पर उस पर अर्जित ब्याज की राशि यदि कोई हो तो उसे योजना का ही संसाधन माना जाएगा एवं उसके व्यय हेतु वही प्रावधान लागू होगे जो मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत लागू है।

जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय बक्सर के रोकड़पंजी एवं बैंक पासबुक की जांच में पाया गया क ब्याज की राशि का उपयोग योजना कार्य में नही किया गया था जो विगत पांच वर्षो में बढ़कर रू0 5173561/– (31 दिसबंर 2016 तक) हो गई थी। इतनी बड़ी राशि का उपयोग योजना कार्य में न करके राशि का अवरोधन किया गया साथ ही साथ सरकार के निर्देशो की अवहेलना की गई थी। आपत्ति के आलोक में बताया गया कि सक्षम पदाधिकारी के निर्देश/अनुशंसा के बाद कार्रवाई की जाएगी। जवाब संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सरकारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

कंडिका 8. उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण नहीं रू0 366.23 लाख तथा शेष राशि का विलंब से प्रेषण

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरण, बक्सर को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत दिये गये प्रत्येक आवंटन की शर्त्तों के अनुसार राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को उपलब्ध करायी जानी थी।

उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी संचिका के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि जिला शहरी विकास अभिकरण, बक्सर द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति निम्नवत थी–

क्र0 सं0	अनुदान आवंटन का वर्ष	संबंधित स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	आवंटित राशि	वर्षभर में कुल प्राप्त राशि का योग (राशि लाख में)	समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र में निहित राशि	समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र की तिथि	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि	अभ्युक्ति
1	2008–09	2537/25.05.08	15059000	301.18	301.18	31.10.15	शून्य	वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में DDO उपनिदेशक शहरी गरीबी उन्मूलन निदेशालय थे।
		166/22.01.09	15059000					
2	2009–10	1306/16.03.10	28000000	488.00	488.00	31.10.15	शून्य	
		6408/21.12.09	20800000					
3	2010–11	2466/11.05.10	6900000	208.00	208.00	17.08.15	शून्य	DDO कार्यपालक अभियंता शहरी विकास अभिकरण बक्सर थें।
		4819/19.08.10	13900000					
4	2011–12	4350/04.08.11	9287700	92.88	92.88	17.08.15	शून्य	
5	2012–13	08/10.05.12	8338156					
		38/06.09.12	10928710	192.67	192.67	17.08.15	शून्य	
6	2013–14	09/03.05.13	34398685	343.99	343.99	17.08.15 एवं 12.09.16	शून्य	
7	2014–15	47/25.08.14	27379978	273.80	188.86	12.09.16	84.94	
8	2015–16	15/14.07.15	27847941	281.29	शून्य	–	281.29	
		05/21.09.15	281185					
योग				2181.80	1815.58		366.23	

बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (खण्ड 1) के नियम 342 के अनुसार सहायक अनुदान मद में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उसके स्वीकृत्यादेश तिथि से एक वर्ष के अंदर सरकार को एवं महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराना चाहिए था। उपर्युक्त वर्णित आंकड़ो से स्पष्ट होता है कि प्राप्त राशि ₹ 2181.80 लाख के विरूद्ध मात्र ₹ 1815.57 लाख का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया था। इस प्रकार राशि रू0 ₹ 366.23 लाख उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण कार्यालय द्वारा नही भेजा गया था, इसके साथ ही, उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में एक से सात वर्ष तक का विलंब किया गया।

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि शेष राशि अभी खर्च नहीं हुई है, खर्च होते ही उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। जवाब संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र को विलंब से भेजे जाने के कारण को लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

कंडिका 9. आयकर विभाग गाजियाबाद (उ.प्र .) को विलम्ब शुल्क भुगतान:रु 20490/-

आहरण एवम संवितरण अधिकारी का दायित्व होता है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियो एवं कर्मचारियों/संवेदकों को भुगतान की जाने वाली राशि से आयकर की समुचित कटौती कर नियत समय पर आयकर विभाग को प्रेषित किया जाय |

जिला शहरी विकास अधिकरण बक्सर के अभिलेख से ज्ञात हुआ की interest of late payment और late filing Fee के रूप मे आयकर विभाग गाजियाबाद (उ.प्र.) को रु 20490/- का भुगतान किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्र सं	चेक नं./तिथि	राशि
1	706210 /3.9.13	10750
2	706209/3.9.13	9740
	कुल	20490/-

रु 20490/- का भुगतान आयकर विभाग गाजियाबाद (उ.प्र.) को penalty के रूप मे किया जाना दर्शाता है कि आहरण एवम संवितरण अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वाहन सही ढंग से नहीं किया था |

आपत्ति के आलोक में बताया गया कि कार्य की व्यस्तता होने की वजह से कटौती की गई आयकर की राशि का समय पर जमा नहीं की जा सकी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

कंडिका 10. एकरारनामा संख्या 27F2/10–11 एवं 03F2/2015–16 के द्वारा कराये गये कार्य की समीक्षा

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत हेयात मोहम्मद पथ जवाहीर मंदिर से ललन डोम के घर होते हुए NH-84 तक पी0सी0सी0 पथ एवं नाली निर्माण कार्य का आवंटन एकरारनामा सं0 27F2/10–11 द्वारा 3652228/– रू0 की एकरारित राशि (अनुसूचित दर) पर संवेदक रजनीकांत को किया गया। इस कार्य को 19.08.10 को प्रारंभ कर दिनांक 18.10.10 तक पूरा कर देना था। इस कार्य पर कुल भुगतान 3311543/– (पांचवे एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पुस्त सं0– 20/पृ0– 35 से 42 किया) किया गया।

पुनः उसी प्रकार डुमरॉव नगर परिषद अन्तर्गत पुरवारी रेलवे गुमटी से स्व0 डा0 बिहारी शरण सिंह के अस्पताल तक सड़क निर्माण कार्य एकरारनामा संख्या 03F2/15–16 द्वारा 3184177/– रू0 की एकरारित राशि (10 प्रतिशत कम दर पर) संवेदक श्री चन्दन कुमार सिंह को आवंटित किया गया। इस कार्य को दिनांक 9.5.15 को प्रारंभ कर तीन माह के भीतर 8.8.15 तक पूरा कर देना था। इस कार्य पर चौथे एवं अंतिम विपत्र तक कुल भुगतान ₹ 3172365/– (मापी पुस्त सं0 67/पृ0 19 से 24) किया गया।

उपरोक्त योजानाओं के अभिलेखों के नमूना जांच में निम्नांकित अनियमितता पाई गईः–